

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 फरवरी 2021 — माघ 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2021

आदेश

क्रमांक 2389/553/21-ब/छ. ग./2021. — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है :-

क्रमांक (1)	विधि पदाधिकारियों का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री विवेक रंजन तिवारी	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री अमृतो दास	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3.	श्री सुनील ओटवानी	अतिरिक्त महाधिवक्ता
4.	श्रीमती हमीदा सिद्दीकी	उप महाधिवक्ता
5.	श्री मतीन सिद्दीकी	उप महाधिवक्ता
6.	श्री सुदीप अग्रवाल	उप महाधिवक्ता
7.	श्री अनिमेष तिवारी	उप महाधिवक्ता

(1)	(2)	(3)
8.	डॉ. वीणा नायर	उप महाधिवक्ता
9.	श्री आदिल मीन्हास	शासकीय अधिवक्ता
10.	श्री देवेश वर्मा	शासकीय अधिवक्ता
11.	श्री अयाज नावेद	शासकीय अधिवक्ता
12.	श्री उद्धव शर्मा	शासकीय अधिवक्ता
13.	श्री समीर उराँव	शासकीय अधिवक्ता
14.	श्री गुरुदेव आई. शरण	शासकीय अधिवक्ता
15.	श्री समीर शर्मा	उप शासकीय अधिवक्ता
16.	श्री गगन तिवारी	उप शासकीय अधिवक्ता
17.	कु. आकांक्षा जैन	उप शासकीय अधिवक्ता
18.	श्री दिनेश आर. के. तिवारी	उप शासकीय अधिवक्ता
19.	श्रीमती ऋचा शुक्ला	उप शासकीय अधिवक्ता
20.	श्री राकेश साहू	उप शासकीय अधिवक्ता
21.	श्री ललित जांगड़े	उप शासकीय अधिवक्ता
22.	श्री बलदाऊ प्रसाद बंजारे	उप शासकीय अधिवक्ता

F. No. 2389/553/XXI-B/C. G./2021. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh appoints the following law Officers in the Advocate General Office, Bilaspur, specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date, they assume charge of their office :-

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Vivek Ranjan Tiwari	Additional Advocate General
2.	Shri Amrito Das	Additional Advocate General
3.	Shri Sunil Otmani	Additional Advocate General
4.	Smt. Hamida Siddhiqui	Deputy Advocate General
5.	Shri Mateen Siddhiqui	Deputy Advocate General
6.	Shri Sudeep Agrawal	Deputy Advocate General

(1)	(2)	(3)
7.	Shri Animesh Tiwari	Deputy Advocate General
8.	Dr. Veena Nair	Deputy Advocate General
9.	Shri Adil Minhaj	Government Advocate
10.	Shri Devesh Verma	Government Advocate
11.	Shri Ayaz Naved	Government Advocate
12.	Shri Udhhaw Sharma	Government Advocate
13.	Shri Sameer Uraon	Government Advocate
14.	Shri Gurudev I. Sharan	Government Advocate
15.	Shri Sameer Sharma	Deputy Government Advocate
16.	Shri Gagan Tiwari	Deputy Government Advocate
17.	Miss Akanksha Jain	Deputy Government Advocate
18.	Shri Dinesh R. K. Tiwari	Deputy Government Advocate
19.	Smt. Richa Shukla	Deputy Government Advocate
20.	Shri Rakesh Sahu	Deputy Government Advocate
21.	Shri Lalit Jangade	Deputy Government Advocate
22.	Shri Baldau Prasad Banjare	Deputy Government Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.